

## कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 417

राँची : 23/8/2028

सेवा में.

सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- डी०भी०सी० हजारीबाग (सिंदुर) सब—स्टेशन से पूर्व—मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी०एस०एस० तक 132 के०वी० डबल सर्किट ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र संख्या- FP/JH/TRANS/120412/2021/293, दिनांक- 09.05.2024

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर 2 (दो) बिन्दुओं में पृच्छा की गई है। उक्त भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 825 दिनांक 21.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निराकरण / वचनबद्धता प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को समर्पित करते हुए इस कार्यालय को ऑनलाईन दिनांक 22.04.2025 समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार निराकरण/ वचनबद्धता प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

Sl.	Query	Compliance by User Agency	Compliance Status
1	The committee demanded a comprehensive Wildlife Management Plan for the proposal for further consideration.	The Wildlife Management Plan for the proposed project has been duly submitted to the Divisional Forest officer (DFO), Hazaribagh West Forest Division, and is currently under review. We shall submit the same once the Wildlife Management Plan is approved from the CWLW, Jharkhand. Undertaking in this required is attached as annexure-I	User Agency has agreed to it and has submitted Wildlife Management Plan which has been forward through proper channel for necessary approval. User agency has also submitted an undertaking to submit the revised plan, if any changes are suggested in the submitted
2	REC pointed out that since felling of trees (Sl. No. 14) and Raising of Electric Towers (Sl. No. 16) are the Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated August 01, 2019 of Govt. of		The user agency agreed and submitted an undertaking regarding the same.  Annexure-II

2.5	India, hence it desired a copy of the Zonal Master Plan from State Govt. if made any. Further, the committee emphasized that user agency should follow the provisions made in the Master Plan, if prepared. Therefore, an undertaking from user agency	FA	

उपरोक्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण / वचनबद्धता प्रतिवेदन की तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि निराकरण / वचनबद्धता प्रतिवेदन पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, विज्ञिर भूमि विक्रास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।





## कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन — 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड) Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: <u>cf.hazaribagh@gmail.com</u>

पत्रांक 13-E-5-08/2022:-

825

दिनांक :-21. 04. 2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

हजारीबाग।

विषय:-

डी०भी०सी० हजारीबाग (सिंदुर) सब—स्टेशन से पूर्व—मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी०एस०एस० तक 132 के०वी० डबल सर्किट ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

- (क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशिक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 477 दिनांक 21.05.2024
- (ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का पत्रांक 1885 दिनांक 07.04.2025 -

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने विषयक परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक FP/JH/TRANS/120412/2021/293 दिनांक 09.05.2024 द्वारा किये गये पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर समर्पित किया है। निराकरण प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् है:—

SI. No	Query	Compliance by User Agency	DFO Comment	CF
	The committee demanded a comprehensive Wildlife Management Plan for the proposal for further consideration.	The Wildlife Management Plan for the proposed	agreed to it and has submitted Wildlife Management Plan which has been forward through proper channel for necessary approval. User agency has also submitted an undertaking to submit the revised	Comment I agree with the comments of DFO.
2	REC pointed out that since	Undertaking in this regard is	The user agency	The user
	felling of trees (Sl. No. 14)	attached as annexure-II	agreed and submitted an	agency agreed and
	and Raising of Electric Towers (Sl. No. 16) are		undertaling regarding the same.	submitted an
	(on 110, 10) are		Annexure-II	undertaling

the Regulatory activities in		regarding
the Eco Sensitive Zone		the same.
(ESZ) notification order		Annexure-II
dated August 01, 2019 of		
Govt. of India, hence it		
desired a copy of the		
Zonal Master Plan from		
State Govt. if made any.		
Further, the committee		
emphasized that user		
agency should follow the		
provisions made in the		
Master Plan, if prepared.	Bellevi same musik salah salah salah salah	
Therefore, an undertaking	BELLEVICE OF THE PROPERTY OF THE P	
from user agency to the		
effect may be submitted.		

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की छः प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। अनुलग्नक—यथोक्त।

वन संरक्षक

प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

आपका विश्वासी



## कार्यालय - वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

2 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक : 1885

सेवा में.

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग।

डी०भी०सी० हजारीबाग (सिंदूर) सब- स्टेशन से पूर्व- मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टीoएसoएसo अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/JH/TRANS/120412/2021 तक 132 केo वी0 डबल सर्किट ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 490 दिनांक 22.03.2025 एवं Dy. General Manager (E), TSC-IV, DVC, Hazaribag का पत्रांक 178 दिनांक 05.04.2025 ।

महाशय.

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक FP/JH/TRANS/120412/2021/293 दिनांक 09.05.2024 द्वारा किये गंये पृच्छा में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक 178 दिनांक 05.04.2025 द्वारा बचनबद्धता के साथ निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जो निम्नवत भेजी जा रही है:-

Sl. No.	Query	Compliance	DFO Comment
1	The committee demanded a comprehensive Wildlife Management Plan for the proposal for further consideration.	The Wildlife Management Plan for the proposed project has been duly submitted to the Divisional Forest officer (DFO),	
		Hazaribagh West Forest Division, and is currently under review. We shall submit the same once the wildlife Management	approval. User agency has also submitted an undertaking to submit the revised plan, if any changes are suggested
		plan is approved from the CWLW, Jharkhand.	in the submitted plan. annexure-I
		Undertaking in this regard is attached as annexure-I	

REC pointed out that since felling of trees (Sl. No. 14 and Raising of Electric Towers (Sl. No. 16) are the Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated August 01, 2019 of Govt. of India, hence it desired a copy of the Zonal Master Plan from State Govt. if made any. Further, the committee emphasized that User Agency should follow the provisions made in the Master Plan, if prepared. Therefore, an undertaking from user agency to the effect may be submitted.

Undertaking in this regard is attached as annexure-II

The user agency agreed and submitted an undertaking regarding the same. annexure-II

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित बचनबद्धता/निराकरण प्रतिवेदन छः प्रतियों के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रहा है। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल